विचार बिन्दु

दोष निकालना सुगम है, उसे अच्छा करना कठिन। –प्लूटार्क

राजस्थान में उच्च न्यायालय की और पीठों की आवश्यकता

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दी है। इस निर्णय का उद्देश्य सुदूर हिमालयी क्षेत्र के लोगों को उच्च न्यायालय की सुविधा उनके निकट उपलब्ध कराना और न्याय तक उनकी पहुंच आसान बनाना है। लद्दाख के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को जम्मू या श्रीनगर की लंबी यात्रा से राहत मिलेगी। यह निर्णय राजस्थान जैसे विशाल राज्य के लिए भी विचारणीय उदाहरण प्रस्तुत करता है।

राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। लगभग 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इस प्रदेश में राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में तथा स्थायी पीठ जयपुर में है। सवाल यह है कि इतने विशाल भौगोलिक विस्तार वाले राज्य के सभी नागरिकों को इन दो स्थानों से उच्च न्यायालय तक समान और सहज पहुंच मिल पा रही है?

राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी। राजस्थान के एकीकरण के समय विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत न्यायिक संस्थाओं को एकीकृत कर एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई। बाद में मुख्य पीठ जोधपुर में स्थापित हुई और वर्ष 1976 में प्रशासनिक आवश्यकता तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए जयपुर में स्थायी पीठ पुनः स्थापित की गई। इससे स्पष्ट है कि समय और जनहित की आवश्यकता के अनुसार न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है।

आज उदयपुर, बीकानेर और कोटा में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठ स्थापित करने की मांग लंबे समय से चली आ रही है। इन मांगों को केवल अधिवक्ताओं की मांग मानना उचित नहीं होगा। इनके पीछे हजारों वादकारियों की वास्तविक कठिनाइयां और न्याय तक उनकी पहुंच का प्रश्न जुड़ा हुआ है।

उदयपुर में उच्च न्यायालय की पीठ की मांग चार दशक से अधिक पुरानी है। मेवाड़-वागड़ क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के अनेक नागरिकों को उच्च न्यायालय में अपने मामलों के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। इन क्षेत्रों से जोधपुर की दूरी लगभग 400 से 500 किलोमीटर अथवा उससे अधिक हो सकती है। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के लिए इतनी लंबी यात्रा, आने-जाने का खर्च और बाहर रहने का व्यय न्याय प्राप्त करने में बड़ी बाधा बन सकता है।

उदयपुर में इस मांग को लेकर आंदोलन भी कई दशकों से जारी है। मेवाड़-वागड़ हाईकोर्ट बेंच संघर्ष समिति के नेतृत्व में अधिवक्ता प्रत्येक माह 7 तारीख को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करते रहे हैं। समय-समय पर क्षेत्र में बंद, प्रदर्शन और अन्य आंदोलन भी हुए हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि मांग केवल न्यायिक सुविधा की नहीं, बल्कि क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षा बन चुकी है।

बीकानेर की मांग का ऐतिहासिक आधार भी है। वर्ष 1922 में बीकानेर में अपना उच्च न्यायालय था, जो राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के बाद समाप्त हो गया। आज बीकानेर संभाग के वादकारियों को उच्च न्यायालय संबंधी मामलों के लिए जोधपुर जाना पड़ता है। बीकानेर बार एसोसिएशन लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अनेक ज्ञापन और प्रदर्शन किए जा चुके हैं तथा वर्ष 2009 में 125 दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल भी हुई थी।

हाड़ौती क्षेत्र में कोटा को उच्च न्यायालय की स्थायी अथवा सर्किट पीठ देने की मांग भी लगभग 25 वर्षों से जारी है। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ के लोगों को उच्च न्यायालय के मामलों के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। उपलब्ध सामग्री के अनुसार इन क्षेत्रों से जयपुर अथवा जोधपुर की दूरी लगभग 350 से 500 किलोमीटर तक हो सकती है। बड़ी संख्या में लंबित मामलों को भी कोटा में पीठ की आवश्यकता के समर्थन में महत्वपूर्ण आधार बताया जाता है।

राजस्थान के भौगोलिक विस्तार को देखते हुए समस्या की गंभीरता और स्पष्ट हो जाती है। दक्षिण में बांसवाड़ा से उत्तर में श्रीगंगानगर तक की दूरी लगभग 900 किलोमीटर बताई गई है। ऐसे विशाल राज्य में उच्च न्यायालय की न्यायिक सुविधा यदि केवल जोधपुर और जयपुर तक सीमित रहेगी, तो दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों के लिए न्याय प्राप्त करना स्वाभाविक रूप से अधिक समय और खर्च वाला रहेगा।

अंततःन्याय तभी सार्थक है जब वह आम आदमी की पहुंच में हो। जब देश के दुर्गम लद्दाख क्षेत्र में न्याय को नागरिकों के निकट ले जाने की आवश्यकता स्वीकार की जा सकती है, तो राजस्थान के विशाल भौगोलिक विस्तार को देखते हुए उदयपुर, बीकानेर और कोटा में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना समय की मांग है।

यहां यह समझना जरूरी है कि उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की मांग का उद्देश्य न्यायपालिका को कमजोर या अनावश्यक रूप से विभाजित करना नहीं है। इसका उद्देश्य न्याय को नागरिकों के निकट पहुंचाना है। भारत के विधि आयोग की 230वीं रिपोर्ट में भी बड़े राज्यों में आवश्यकता के अनुसार उच्च न्यायालय की पीठों की स्थापना पर बल दिया गया था। न्याय के विकेंद्रीकरण से न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने, लंबित मामलों का बोझ कम करने तथा आम नागरिक के समय और धन की बचत करने में सहायता मिल सकती है।

अन्य बड़े राज्यों का अनुभव भी इस दिशा में महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में मुंबई के अतिरिक्त नागपुर, औरंगाबाद और पणजी में उच्च न्यायालय की पीठें हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के अतिरिक्त इंदौर और ग्वालियर में स्थायी पीठें कार्यरत हैं। कर्नाटक में बेंगलुरु के अतिरिक्त धारवाड़ और कलबुर्गी में पीठें हैं। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य न्यायालयों की संख्या बढ़ाना मात्र नहीं, बल्कि न्याय को नागरिकों के निकट लाना और भौगोलिक असमानता कम करना है।

निस्संदेह, नई स्थायी पीठ की स्थापना एक निर्धारित संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया के अधीन होती है। इसमें राज्य सरकार का प्रस्ताव, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की प्रशासनिक सहमति तथा केंद्र स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। संबंधित क्षेत्र की भौगोलिक दूरी, लंबित मामलों की संख्या, आधारभूत ढांचा और प्रशासनिक एवं वित्तीय व्यवहार्यता जैसे पहलुओं का भी मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

वर्चुअल कोर्ट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज न्याय व्यवस्था के उपयोगी साधन बन चुके हैं। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के वादकारियों और अधिवक्ताओं को सुविधा मिलती है। लेकिन वर्चुअल सुनवाई को स्थायी भौतिक पीठ का पूर्ण विकल्प नहीं माना जा सकता। स्थायी पीठ केवल ऑनलाइन सुनवाई नहीं होती, बल्कि उसमें न्यायाधीशों की भौतिक उपस्थिति, न्यायिक प्रशासन और स्थानीय न्यायिक ढांचे की सुविधा उपलब्ध होती है। इसी कारण उदयपुर, बीकानेर और कोटा की बार एसोसिएशनें केवल वर्चुअल बेंच के बजाय भौतिक उपस्थिति वाली स्थायी पीठ की मांग करती रही हैं।

न्याय तक पहुंच का अर्थ केवल अदालत के दरवाजे खुले होना नहीं है। यह भी आवश्यक है कि आम नागरिक उन दरवाजों तक पहुंच सके। संविधान के अनुच्छेद 39(क) की भावना आर्थिक अथवा अन्य अक्षमताओं के कारण किसी व्यक्ति को न्याय पाने के अवसर से वंचित न करने की है। यदि किसी गरीब ग्रामीण या आदिवासी व्यक्ति को मुकदमे की सुनवाई के लिए सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े, तो भौगोलिक दूरी और आर्थिक बोझ दोनों न्याय तक उसकी पहुंच को प्रभावित करते हैं।

लद्दाख में उच्च न्यायालय की पीठ को मंजूरी इसी सोच को मजबूत करती है कि न्याय व्यवस्था को नागरिकों के निकट होना चाहिए। राजस्थान में भी अब इस विषय को केवल क्षेत्रीय मांग या वकीलों के आंदोलन के रूप में देखने के बजाय व्यापक न्यायिक सुधार के रूप में देखा जाना चाहिए।

राज्य सरकार को उदयपुर, बीकानेर और कोटा की मांगों का निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ अध्ययन कराना चाहिए। संबंधित क्षेत्रों में लंबित मामलों की संख्या, मुख्य पीठ से दूरी, जनसंख्या, आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर आबादी, परिवहन सुविधाओं तथा उपलब्ध बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन किया जाए। यदि निर्धारित मानदंडों के आधार पर आवश्यकता और व्यवहार्यता सिद्ध होती है तो राज्य सरकार को उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की स्थापना के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहल करनी चाहिए।

राजस्थान जैसे विशाल राज्य में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठें किसी क्षेत्र विशेष को दिया गया विशेषाधिकार नहीं होंगी। यह न्याय के विकेंद्रीकरण और नागरिकों के समान अधिकार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। इसका उद्देश्य जोधपुर या जयपुर के महत्व को कम करना नहीं, बल्कि उन नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करना है जिनके लिए उच्च न्यायालय आज भी बहुत दूर है।

अंततःन्याय तभी सार्थक है जब वह आम आदमी की पहुंच में हो।जब देश के दुर्गम लद्दाख क्षेत्र में न्याय को नागरिकों के निकट ले जाने की आवश्यकता स्वीकार की जा सकती है, तो राजस्थान के विशाल भौगोलिक विस्तार को देखते हुए उदयपुर, बीकानेर और कोटा में उच्च न्यायालय की अतिरिक्त पीठों की आवश्यकता पर गंभीरता से विचार करना समय की मांग है। यह केवल वकीलों की मांग नहीं, बल्कि न्याय को नागरिकों के निकट पहुंचाने की दिशा में आवश्यक न्यायिक सुधार है।

–अतिथि सम्पादक,
प्रोफेसर (डा.) पी. सी. कंठालिया,
पूर्व विभागाध्यक्ष (मृदा विज्ञान) एवं मुख्य वैज्ञानिक
महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर

सड़कों की नई रफ्तार से बदलता राजस्थान का विकास पथ

चन्द्रमोहन मीणा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर कनेक्टिविटी के विस्तार, एक्सप्रेसवे और रिंग रोड के जरिए प्रदेश में मजबूत हो रहा आधारभूत ढांचा . राजस्थान जैसे विशाल भू-भाग वाले प्रदेश के लिए सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास की जीवनरेखा हैं। गांव को मंडी से, किसान को बाजार से, उद्योग को निवेश से और शहर को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कें जितनी मजबूत होंगी, विकास की गति भी उतनी ही तेज होगी। यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले ढाई वर्षों के दौरान सड़क विकास को केवल निर्माण कार्यों की सूची तक सीमित न रखकर राजस्थान की भविष्य की आर्थिक और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का आधार बनाने पर जोर दिया गया है। सड़क निर्माण, नए एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, बाईपास और ग्रामीण संपर्क मार्गों का विस्तार इसी व्यापक सोच का हिस्सा दिखाई देता है।

प्रदेश में इस अवधि में 34,128 करोड़ रुपए व्यय कर 49,197 किलोमीटर सड़कों का विकास किया गया है। इनमें 9,290 करोड़ रुपए की लागत से 18,431 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण उल्लेखनीय है। आंकड़ों की यह तस्वीर बताती है कि सड़क विकास का दायरा केवल बड़े शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांवों और छोटे कस्बों तक संपर्क मजबूत करने की दिशा में भी काम हुआ है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क नेटवर्क को अब केवल वर्तमान यातायात की जरूरतों के हिसाब से नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की आर्थिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर विकसित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के विशेष निर्देशों के अनुरूप कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स को गति देना इसी दृष्टि का प्रमाण है।

राजस्थान में 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नौ नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर होना आने वाले समय में प्रदेश के सड़क नेटवर्क का स्वरूप बदल सकता है। इन परियोजनाओं का महत्व केवल यात्रा का समय कम करने तक सीमित नहीं है। ये औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि उत्पादक क्षेत्रों, पर्यटन स्थलों और प्रमुख शहरों को तेज परिवहन नेटवर्क से जोड़कर आर्थिक गतिविधियों का नया भूगोल तैयार कर सकते हैं। करीब 350 किलोमीटर लंबा जयपुर-जोधपुर एक्सप्रेसवे जयपुर, दूदू, किशनगढ़, अजमेर और जोधपुर को जोड़ेगा। यह पश्चिमी राजस्थान और राजधानी क्षेत्र के बीच दूरी कम करने के साथ औद्योगिक एवं व्यापारिक गतिविधियों को नई गति देने की क्षमता रखता है। इसी तरह कोटपूतली-किशनगढ़ एक्सप्रेसवे करीब 181 किलोमीटर, जयपुर-भीलवाड़ा एक्सप्रेसवे करीब 193 किलोमीटर और बीकानेर-कोटपूतली एक्सप्रेसवे करीब 295 किलोमीटर लंबा प्रस्तावित नेटवर्क प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ब्यावर-भरतपुर एक्सप्रेसवे करीब 342 किलोमीटर लंबा होगा, जबकि जालोर-झालावाड़ एक्सप्रेसवे करीब 402 किलोमीटर लंबाई के साथ राजस्थान के पश्चिमी हिस्से को देश के प्रमुख आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसी क्रम में अजमेर-बांसवाड़ा एक्सप्रेसवे करीब 358 किलोमीटर, जयपुर-फलोदी करीब 345 किलोमीटर और श्रीगंगानगर-कोटपूतली करीब 290 किलोमीटर लंबी परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को एक साथ देखा जाए तो तस्वीर स्पष्ट होती है किराजस्थान के विकास का अगला चरण केवल जयपुर या कुछ बड़े शहरों तक सीमित रखने के बजाय पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक कनेक्टिविटी का जाल मजबूत करने की कोशिश है।

बड़े एक्सप्रेसवे जितने जरूरी हैं, उतना ही महत्वपूर्ण वह सड़क नेटवर्क है जो गांवों को मुख्य मार्गों से जोड़ता है। यह काम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की वास्तविक उपयोगिता तभी सामने आती है, जब उससे अंतिम छोर तक जुड़ा स्थानीय सड़क नेटवर्क भी मजबूत हो। राजस्थान के बड़े शहरों में बढ़ते यातायात के बीच रिंग रोड की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। शहर के भीतर से गुजरने वाले भारी वाहनों को बाहर से निकालना, यातायात का दबाव कम करना और भविष्य के शहरी विस्तार के लिए वैकल्पिक मार्ग तैयार करना रिंग रोड की मूल उपयोगिता है।

जयपुर उत्तरी रिंग रोड लगभग 99 से 100 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका उद्देश्य दिल्ली, आगरा, अजमेर और अहमदाबाद जैसे प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को बेहतर ढंग से जोड़ना है। इसी प्रकार रामगंजमंडी-कोटा रिंग रोड की डीपीआर तैयार की जा चुकी है, जिसकी भूमि अधिग्रहण सहित अनुमानित लागत करीब 380 करोड़ रुपए है। प्रतापगढ़ में बाईपास चित्तौड़गढ़ रोड से धरियावाद रोड होते हुए बांसवाड़ा रोड तक अर्धचंद्राकार रिंग रोड की डीपीआर तैयार होना भी शहरी यातायात के दीर्घकालीन समाधान की दिशा में कदम है। झाड़ोल से नांदेश्वर-उदयपुर रिंग रोड, चूरू बाईपास, अजमेर के चारों ओर रिंग रोड सहित विभिन्न शहरों में रिंग रोड और बाईपास परियोजनाओं की तैयारी बताती है कि यातायात प्रबंधन को सड़क विकास के साथ जोड़ा जा रहा है। विशेष रूप से भारी यातायात वाले शहरों में रिंग रोड का निर्माण केवल ट्रैफिक कम करने का उपाय नहीं है। यह शहरों के भीतर प्रदूषण, दुर्घटना जोखिम, जाम और यात्रा समय को कम करने के साथ नए व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास की संभावनाएं भी खोलता है। आज के दौर में कोई भी निवेशक किसी प्रदेश में उद्योग लगाने से पहले बिजली, पानी और जमीन के साथ कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देता है। बेहतर सड़कें लॉजिस्टिक्स की लागत घटाती हैं, बाजार तक पहुंच आसान बनाती हैं और उद्योगों के लिए नए स्थानों को व्यवहार्य बनाती हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए यह और भी महत्वपूर्ण है।

जयपुर-जोधपुर, जालोर-झालावाड़, अजमेर-बांसवाड़ा जैसे एक्सप्रेसवे केवल शहरों को जोड़ने वाली रेखाएं नहीं होंगे; इनके आसपास औद्योगिक गतिविधियों, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, पर्यटन और सेवा क्षेत्र के नए केंद्र विकसित होने की संभावनाएं हैं। कृषि उत्पादों के तेज परिवहन से किसानों को भी लाभ मिल सकता है। यानी सड़क पर खर्च होने वाला पैसा अंततः अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में गतिविधि पैदा कर सकता है।

सड़क विकास की यह रफ्तार उत्साहजनक है। इसकी अगली कसौटी गुणवत्ता, समयबद्धता और रखरखाव है। नई सड़कें बनाना जितना आवश्यक है, उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। एक्सप्रेसवे और रिंग रोड की परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृतियां, वित्तीय प्रबंधन और निर्माण की गति जैसे मुद्दों पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। राजस्थान की जरूरत बेहतर, सुरक्षित, टिकाऊ और रणनीतिक रूप से उपयोगी सड़क नेटवर्क की है। इसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सड़को को बड़े राजमार्गों से प्रभावी ढंग से जोड़ने, एक्सप्रेसवे समय पर पूरे करने और रिंग रोड शहरों के यातायात को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया जा रहा है।

सड़कें अक्सर वह आधार तैयार करती हैं जिस पर उद्योग, व्यापार, पर्यटन और रोजगार की इमारत खड़ी होती है। राजस्थान में पिछले ढाई वर्षों में सड़क विकास के लिए अपनाया गया व्यापक दृष्टिकोण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़कों का विस्तार, एक्सप्रेसवे की नई कड़ियां और शहरों के चारों ओर रिंग रोड मिलकर राजस्थान को केवल बेहतर जुड़ा हुआ प्रदेश नहीं, बल्कि तेज आर्थिक गतिविधियों वाला प्रदेश बनाने की आधारभूमि तैयार कर सकते हैं। आने वाले वर्षों में इन परियोजनाओं की सफलता का वास्तविक पैमाना यही होगा कि राजस्थान के किसी गांव से निकलने वाला व्यक्ति, किसान, व्यापारी या उद्यमी कितनी आसानी से राज्य और देश के बड़े बाजारों तक पहुंच पाता है। यदि यह दूरी समय और लागत दोनों में घटती है, तो सड़क पर बिछता डामर वास्तव में विकास की नई राह बन जाएगा।

–चंद्रमोहन मीणा, आईएएस (सेनि)

कला, शिल्प और श्याम : राजस्थान में श्रीकृष्ण-अनुराग

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (4 सितम्बर, 2026) पर विशेष....

अब्दुल लतीफ़ उस्ता

सोइ नेह नदलाल में, प्रकटि न पावें जान।
जस असि सूराचित्र कों, एंच्यो होइ न म्यान।।

श्रीकृष्ण के चरित्र के बहुआयामों, सौंदर्य और लोक-तत्वों के साथ समागमी प्रवृति ने भारतीय कलाओं और साहित्य को अत्यंत गहराई से प्रभावित किया है। संभवतः यही कारण है कि इन माध्यमों में श्रीकृष्ण का जितना निरूपण हुआ है, किसी अन्य विषय का इतना प्रभावी अंकन नहीं हुआ है। उनकी कला तत्वों में उपस्थिति भारतीय संस्कृति को सौंदर्य, संवेदना और आध्यात्मिकता से जोड़ती है। भारतीय कला विधाओं में श्रीकृष्ण अनेक रूपों यथा मथुरा, गुप्त और मध्यकालीन शिल्प में, राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला में, मूर्तियों और भित्तिचित्रों में व्यापक रूप से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी सरीखी प्रदर्शनकारी कलाओं में कृष्ण-आधारित नृत्य-रचनाएँ महती रही हैं। रासलीला, कृष्ण-लीला और भजन-परंपरा में उनका अभिनयात्मक और संगीतात्मक रूप प्रकट होता है। लोकनाट्यय, पद-गायन और भक्तिगीतों के केंद्रीय नायक भी श्रीकृष्ण हैं, जहाँ वे प्रेम, भक्ति, नीति और दर्शन के पर्याय हैं।

राजस्थान की कला और शिल्प-संस्कृति में भी श्रीकृष्ण का स्थान धार्मिक चरित्र तक सीमित नहीं है बल्कि वे भक्ति, सौंदर्य और लोक-स्मृति के जीवंत प्रतीक हैं। राजस्थानी चित्रकला की विविध चित्रशैलियों यथा मेवाड़, बीकानेर, बूंदी, कोटा, किशनगढ़ और जयपुर की शैलियों में श्रीकृष्ण के विविध रूप चित्रित हुए हैं। किशनगढ़ शैली में राधा-कृष्ण की भावमयी और कोमल छवियाँ अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं। इसी प्रकार पिछवाई चित्रों में श्रीनाथजी के रूप में श्रीकृष्ण का भव्य, भक्तिमय और रंग-समृद्ध रूप देखने को मिलता है। राजस्थानी लोकचित्र परंपराओं जैसे फड़ और कावड़ में भी कृष्ण-लीला के प्रसंग चित्रित किये जाते है जो कथाओं, प्रतीकों और रंगों के माध्यम से श्रीकृष्ण के जीवन को लोकभाषा में व्यक्त करते हैं।

राजस्थानी संगीत और लोक गायन में भी श्रीकृष्ण की उपस्थिति बहुत प्रभावी रही हैं। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ब्रज और ढूँढाड़ी जैसी क्षेत्रीय बोलियों में रचे गए भजनों और लोक-गीतों में गोपियों का कृष्ण प्रेम और राधा की व्याकुलता सजीव हो उठती है। विशेष रूप से रसिया गायन, जो ब्रज के सांस्कृतिक प्रभाव से जुड़ा है, और मण्डलों में गाए जाने वाले लोक-गीत श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हैं। हवेली संगीत-जो नाथद्वारा की पुष्टिमार्गीय परंपरा की अनमोल थाती है-में राग-रागिनियों के माध्यम से भगवान कृष्ण के दैनिक स्वरूपों और श्रृंगार का अत्यंत तन्मयता से गायन किया जाता है। इसके अतिरिक्त रम्मत और ख्याल जैसे लोकनाट्ययों के साथ-साथ रासलीला की जीवंत प्रस्तुतियाँ संगीत, अभिनय और भाव का अद्भुत संगम रचती हैं। इन सभी रूपों में श्रीकृष्ण राजस्थान की लोक-स्मृति में से जीवंत स्वर बनकर उभरते हैं, जो पीढ़ियों से संगीत, नृत्य और लोक-संस्कृति को आपस में बांधे हुए हैं।

राजस्थान की हस्तशिल्प परंपरा भी इस विषय से अछूती नहीं रही है। राजस्थानी हस्तशिल्प में श्रीकृष्ण पिछवाई के विशाल वस्त्र-चित्रों में श्रीनाथजी के रूप में तो कभी बंधेज और लहरिया की तरंगों में, कभी कढ़ाई और ब्लॉक प्रिंट की सज्जा में, कभी लकड़ी, लाख, धातु और मिट्टी की मूर्तियों/फलकों में, और कभी मंदिर संबंधी सजावटी वस्तुओं में अंकित किये जाते रहे हैं। श्रीकृष्ण यहाँ केवल एक विषय नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक चेतना के केंद्र के रूप में विद्यमान हैं।

राजस्थान में वैष्णव परंपरा और पुष्टिमार्गीय आस्था ने कृष्ण-प्रधान शिल्प को विशेष प्रोत्साहन दिया है। श्रीनाथद्वारा इस परंपरा का सबसे प्रमुख तीर्थ और शिल्प-केन्द्र है, यहाँ विकसित पिछवाई कला ने श्रीकृष्ण के बालरूप श्रीनाथजी को दृश्य रूप में व्यक्त करने की एक सशक्त भाषा रची। पिछवाई निर्माण केवल सौंदर्य निरूपण नहीं है, बल्कि विभिन्न अवसरों पर श्रीकृष्ण के स्वरूप, प्रसंगों और ऋतुओं के अनुरूप उसकी दृश्य-रचना बदली जाती है। राजस्थान की हवेलियों, विशेषकर शेखावाटी, बीकानेर और जोधपुर और प्राचीन मंदिरों के भित्तिचित्रों में श्रीकृष्ण की लीलाएँ, स्थानीय कलाकारों द्वारा चमकीले प्राकृतिक रंगों से उकेरी गयी हैं। इसी प्रकार राजस्थानी लोक-चित्रण परम्परा यथा फड़, पाने आदि में लोकदेवताओं के साथ-साथ श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, गोवर्धन-धारण और अन्य प्रसंग भी अंकित किए जाते रहे हैं। शाहपुरा, भीलवाड़ा का जोशी परिवार फड़ बनाने की कला में सिद्धहस्त रहा है। इसी भांत उदयपुर की जल सांझी, जल पर चित्रकारी की एक दुर्लभ और प्राचीन मंदिर कला शैली है, जो मुख्य रूप से श्रीकृष्ण के जीवन और बाल-लीलाओं पर केंद्रित होती है।

राजस्थान के लकड़ी, मिट्टी और लाख के शिल्प में भी श्रीकृष्ण एक विशिष्ट और लोकधर्मी विषय के रूप में दिखाई देते हैं। राजस्थान के काष्ठ-शिल्प में पारंपरिक तोरणों, चौखटों और धार्मिक झरोखों पर श्रीकृष्ण की आकृतियों को अत्यंत बारीकी से तराशा गया है। विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर घरों के मुख्य द्वारों पर लगाए जाने वाले काष्ठ के नक्काशीदार तोरणों पर श्रीकृष्ण की बांसुरी, मोर-मुकुट और गायों के चित्र उकेरे

जाते हैं, जो यह इंगित करते है कि यहाँ हर नई शुरुआत और मांगलिक कार्य का आरंभ कृष्ण-स्मृति के बिना अपूर्ण है। बस्सी-चित्तौड़गढ़ की कावड़ कला परम्परा में लोकदेवताओं के साथ-साथ श्रीकृष्ण की बाल-लीलाएँ, गोवर्धन-धारण और अन्य प्रसंग भी अंकित किए जाते रहे हैं। इस परंपरा में रामकथा के साथ, विष्णु अवतार के रूप में श्रीकृष्ण से जुड़े प्रसंग चित्रित किये जाते रहे हैं। लकड़ी से बने कावड़ कपाटनुमा छोटे मंदिरनुमा संरचना होती है, जिन्हें सुथार या जांगिड ब्राह्मण कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। मिट्टी की मूर्तियों, टेराकोटा वस्तुओं, विशेषकर मोलेला के मूर्ति-शिल्प में श्रीकृष्ण के विविध स्वरूप अधिक सरल और लोक भाव लिए हुए होते हैं, जिनमें स्थानीय पारंपरिक कला की सहजता दिखाई देती है। राजसमंद जिले के मोलेला गाँव की मोलेला कला और श्रीकृष्ण के बीच का संबंध बहुत अनूठा और गहरा है। लोक देवताओं के साथ-साथ श्रीकृष्ण की इन मूर्तियों की पूजा करने की परंपरा इस शिल्प को कृष्ण भक्ति और राजस्थान की सांस्कृतिक आस्था से जोड़ती है। इसी प्रकार लाख के शिल्प निर्माण परंपरा में चमकीले रंग और चिकनी सतह श्रीकृष्ण के सौंदर्य से स्वाभाविक रूप से मेल खाते हैं। लाख की चूड़ियों, खिलौनों, छोटे सजावटी पात्रों और धार्मिक प्रतीकों में कृष्ण-भाव की झलक अक्सर देखने को मिलती है।

''कार्यार्थं तस्य तु नृपः पुरोचनमचोदयत्।
तैलं वसां च क्षौमं च लाक्षां दारूणि चैव हि।।''

(महाभारत - आदि पर्व, जतुगृहदाह पर्व, 145, 2)

ऐसा माना जाता है कि ब्रज में अपनी लीलाओं के दौरान श्रीकृष्ण राधिका और गोपियों को प्राकृतिक गोंद और लाख से बने सुंदर आभूषण और चूड़ियाँ भेंट करते थे। राजस्थान में लाख का काम मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में किया जाता है और इनके पारंपरिक कारीगरों को मनिहार कहा जाता है। चूंकि श्रीकृष्ण (विशेष रूप से श्रीनाथजी, श्रीगोविन्द देवजी, श्री द्वारकाधीश जी, सांवरिया सेठ और बाबा रामदेवजी के स्वरूप में) यहाँ की संस्कृति के केंद्र में हैं, इसलिए जन्माष्टमी के दौरान चमकीले रंगों की लाख की चूड़ियों और सजावटी वस्तुओं का प्रचलन स्वतः ही बढ़ जाता है। यहाँ कारीगर अपने माध्यमों की सीमाओं के भीतर श्रीकृष्ण की छवि को विविध सांकेतिक रूपों यथा मयूर पंख, बांसुरी, मोर-मुकुट आदि में ढालतें हैं।

राजस्थान की धातु शिल्प और मीनाकारी की परंपरा में भी श्रीकृष्ण का स्वरूप विशेष महत्व रखता है। धातु शिल्प में श्रीकृष्ण के श्रीनाथजी, श्रीनवनीत प्रियाजी स्वरूप की मूर्तियाँ, झाँकियाँ और सजावटी विठाह बड़े पैमाने पर बनाए जाते रहे हैं। कुंदन, पोल्की और जड़ाऊ शिल्प-परंपरा में भी मंदिरों और धार्मिक आयोजनों के लिए प्रयुक्त वस्तुओं को विशेष रूप से सजाया जाता है। इन शिल्पों में जब धातु, रंग और प्रकाश एक साथ मिलते हैं, तब श्रीकृष्ण की छवि भक्ति और सौंदर्य के सम्मिलन का रूप ले लेती है। राजस्थान में बंधेज, लहरिया, अजरख, ब्लॉक प्रिंट, कशीदाकारी और रंगाई-छपाई की विविध वस्त्र-शिल्प विधाओं में भी श्रीकृष्ण की छाप प्रमुखता से देखी जा सकती है। श्रीकृष्ण से सम्बंधित रंग-विशेष रूप से पीला, नीला, हरा और सफेद-इन वस्त्रों में प्रचुरता से प्रयुक्त होते हैं। पीला पीताम्बर, नीला श्याम छवि, हरा कानन वन की प्रकृति, सफेद पवित्रता तथा शांति को इंगित करता है। मोरपंख, बंसी, कमल, गाय, लता-पत्र और झूला जैसे रूपांकन भी इन वस्त्रों में श्रीकृष्ण-भाव को गहरा करते हैं।

समसामयिक दौर में, श्रीकृष्ण से संबंधित रूपक अनेक घरेलू और अनुष्ठानिक शिल्पों यथा कढ़ाई, गोटा-पट्टी, कशीदाकारी, बातिक, मोजैक, अप्लिक और साज-सज्जा में सम्मिलित हो रहे हैं। वर्तमान समय में, जहाँ डिजिटल मीडिया, मशीनी उत्पादन और वैश्विक बाजार का विस्तार तेजी से हो रहा है, वहाँ राजस्थान के कृष्ण-केंद्रित हस्तशिल्प और कला-परंपराओं की प्रासंगिकता और अधिक बढ़ गई है। यह शिल्प केवल धार्मिक आस्था या स्थानीय संस्कृति तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक पर्यटन, संग्रहालयों और आधुनिक कला-दीर्घाओं के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। आधुनिक डिजाइनरों और शिल्पियों के बीच पारंपरिक पिछवाई, बंधेज, मीनाकारी और काष्ठ-शिल्प को समकालीन सौंदर्यबोध के साथ ढालने का एक नया युग शुरू हुआ है, जिससे युवा पीढ़ी भी इन कलाओं से जुड़ रही है। इस प्रकार, समकालीन संदर्भ में श्रीकृष्ण-विषयक लोक-शिल्प परंपरा आधुनिकता और सांस्कृतिक जड़ों के बीच एक मजबूत सेतु का काम कर रही है, जो आर्थिक संबल के साथ-साथ राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए हुए है।

–अब्दुल लतीफ़ उस्ता,
विरासत विशेषज्ञ और कला इतिहासकार

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

गुरूवार 3 सितम्बर, 2026

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, सप्तमी तिथि, गुरूवार, विक्रम संवत 2083, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 12:49 तक, व्याघात योग सायं 6:33 तक, विष्टि करण दिन 3:26 तक, चन्द्रमा आज 7:26 से वृष राशि में प्रवेश करेगा।

ग्रह स्थितिः सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मिथुन, बुध-सिंह, गुरू-कर्क, शुक्र-तुला, शनि-मीन राहु-कुम्भ, केतु-सिंह

आज यमघट योग सूर्योदय से रात्रि 12:29 तक है। रवियोग रात्रि 12:29 तक है। भद्रा दिन 3:26 तक है। आज थदड़ी पर्व (सिंधी) है।

श्रेष्ठ चौघड़ियाः शुभ सूर्योदय से 7:44 तक, चर 10:52 से 12:24 तक, लाभ-अमृत 12:26 से 3:34 तक, शुभ 5:08 से सूर्यास्त तक।

राहूकालः 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:11, सूर्यास्त 6:42

मेष
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। नौकरीपेशा व्यक्तियों को अतिरिक्त कार्य करना पड़ सकता है। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

वृष
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। मानसिक तनाव दूर होगा।

मिथुन
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कारणों से भागदौड़ रहेगी। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा।

कर्क
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। घर-परिवार में सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

सिंह
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। व्यावसायिक परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है।

वृश्चिक
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा, उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु
अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मकर
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक परेशानियां दूर होने लगेगी और व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी।

कुंभ
घर-परिवार में आवश्यक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

मीन
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिचितों के सहयोग से महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है।